तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./2982/2006/जोधपुर सांवलसिंह बनाम शान्ति देवी	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ (मु0 जोधपुर)</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –

श्री गुलाबसिंह, अधिवक्ता, प्रार्थीगण

अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 02.11.2023

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील संख्या–09/2006 बउनवानी सांवलसिंह व अन्य बनाम शान्ति देवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20–04–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण प्रार्थीगण ने प्रतिवादीगण प्रार्थीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ के न्यायालय ग्राम कनोडिया पुरोहितान स्थित खसरा नम्बर 661 रकबा 183बीघा 14बिस्वा भूमि बाबत् में मूल वाद के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 24–01–2006 से खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 20–4–2006 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार का तर्क है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 661 में धनसिंह पुत्र चुनीलाल का 1/2 हिस्सा व मोडसिंह पुत्र सुरजमल का 1/2हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज है और बैचान के वक्त भी दोनों सहखातेदारो के नाम विवादित आराजी दर्ज थी, जिनके मध्य को बंटवारा नहीं हुआ है तथा बिना बंटवारे के उक्त खसरा नम्बरान की भूमि के अलग से मीन नम्बर नहीं पडे थे, ना ही नक्शें में तरमीम हुई थी तब तक मीटस एण्ड बाउण्डस् के तहत बंटवारा होकर अलग हक व हिस्सा तय नहीं होता तब तक किसी सहखातेदार को विशेष भू–भाग का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./2982/2006/जोधपुर सांवलसिंह बनाम शान्ति देवी	नम्बर व तारीख

बैचान करने का अधिकार नहीं है। धनसिंह ने उक्त खसरा नम्बर में से 43बीघउ भूमि दिनांक 18–8–1988 को अप्रार्थी शान्तिदेवी को कर दिया, जो शून्य एवं अवैध है और उक्त बैचाननामें से अप्रार्थी संख्या–1 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होगा। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विशेष भू–भाग का बैचान मानते हुए निर्णय पारित किये गये, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को अपास्त किया जावे तथा मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजी के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं विद्युत कनेक्शन नहीं लेने का आदेश पारित किया जावे।

अप्रार्थीगण को बार बार आवाज लगाई गयी किन्तु कोई उपस्थित नहीं। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि प्रार्थी निगरानीकार वादीगण ने विचारण न्यायालय में दावे के साथ धारा 212 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए खसरा नंबर 661 रकबा 183 बीघा 14 बिस्वा का एक चक होना और बिना बंटा होना बताया और साथ ही धन सिंह द्वारा अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को विक्रय करना बताया, पर उनका कोई कब्जा नहीं होना बताया और अपने प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किया है कि विपक्षीगण ने खसरा नंबर 661/1 रकबा 43 बीघा अलग करवा लिया और उसे पर तारबंदी करने का प्रयास किया तो प्रार्थी ने मना किया लेकिन जवाब में विपक्षीगण ने यह उल्लेख किया कि धन सिंह ने अपना संपूर्ण हिस्सा अप्रार्थी संख्या– 1 ता 3 को बेचान कर दिया और उसका सीमांकन करने के पश्चात ही 661/1 रकबा 43 बीघा का अलग से कायम किया गया है और रिकार्डेड खातेदार हैं और मौके पर तरमीम हो चुका है और अप्रार्थी भौतिक रूप से काबिज है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा नक्शे और विक्रय पत्रों के आधार पर यह माना है की भूमि का विभाजन हो चुका है और अप्रार्थीगण का कब्जा है और रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं किया जा सकता और पूर्व में विभाजन हो चुका है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इन तथ्यों की पुष्टि करते हुए प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं माना है और अपील खारिज की है। इस निगरानी में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरुद्ध हो। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार प्रार्थी निगरानीकार का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है और विद्युत संबंध स्थापित करना भूमि सुधार की श्रेणी में आता है। इसलिए इस आदेश में कोई अवैधता नहीं है और यह निगरानी खारिज किए जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./2982/2006/जोधपुर सांवलसिंह बनाम शान्ति देवी	नम्बर व तारीख
	संख्या–09/2006 बउनवानी सांवलसिंह व अन्य बनाम शान्ति देवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20–04–2006 की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख अविलम्ब भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** सदस्य	